

प्रेसनोट

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/176/दिनांक 02.02.2019 द्वारा जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र नीमच हेतु तथा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/177/दिनांक 02.02.2019 द्वारा मुक बधिर विद्यालय/छात्रावास हेतु पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति पूर्व में प्रकाशित की गई थी । उक्त विज्ञप्ति में उम्मीदवारों को एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन पत्र करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई थी एवं शासन के नियमानुसार आरक्षित वर्ग क उम्मीदवार को शासन द्वारा प्रदत्त आयु सीमा में छुट दिये जाने की शर्त उल्लेखित थी ।

अतः उक्त आदेश द्वारा डीडीआरसी एवं मुक बधिर विद्यालय/छात्रावास हेतु जारी विज्ञप्ति के शर्त क्रमांक 4 में उल्लेखित अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/सी. 3-11/2012/1/3 दिनांक 13.01.2016 में (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है) उल्लेखित निर्धारित प्रावधान के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छुट प्रदान की जाती हैं ।

संशोधित समय सारणी

क्र	विवरण	दिनांक
1	विज्ञप्ति प्रकाशन होने की तिथि	05/02/2019
2	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रारम्भ	05/02/2019
3	ऑनलाईन दर्ज करने की संशोधित अंतिम तिथि	28/02/2019
4	एम.पी. ऑनलाईन से आवेदन पत्र प्रिन्ट कर दस्तावेजों के आधार पर स्कूटनी	01/03/2019
5	मूल्यांकन पश्चात् मेरिट सूची जारी करने की तिथि (अन्तिम सूची)	01/03/2019
6	नियुक्ति आदेश	01/03/2019

इच्छुक उम्मीदवार एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन पत्र संशोधित समय-सीमा अनुसार दिनांक 28.02.2019 समय सांय 05.00 बजे तक कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ववत् प्रभावशील रहेगी

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग) जिला नीमच (म0प्र0)

पृ. क्रमांक/ 372 / डी0डी0आर0सी0 / 2018.19 /
प्रतिलिपि :-

नीमच दिनांक... 22/02/2019

1. संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया प्रेसनोट राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।
3. कलेक्टर, जिला नीमच ।
4. सहायक, संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग नीमच की ओर प्रेसनोट प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

उप संचालक,

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण,
जिला नीमच (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी. 3-11/2012/1/3

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।


विषय :- राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा का निर्धारण।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2012 एवं 20 नवम्बर, 2012.

संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2012 के पैरा-4 की तालिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रं.	आवेदक	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा (वर्ष में)	मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु-सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	35
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
 11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर।
 13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
 16. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
 17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
 19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोधित।


(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग